

EMININ

जन शिकायत प्रकोच्छ कमिश्नोट कानपुर नगर नी०रीक्सीक 1-192-28

सेवा में,

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कानपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी व उसका भाई राज दीपक बागला मकान नम्बर 26/70ए बिरहाना रोड कानपुर नगर पर प्रथमखण्ड एवं तृतीय खण्ड पर बतौर स्वामी काबिज व दखील होकर निवास कर रहे है। मकान की अन्य हिस्सेदार श्रीमती उमा बागला पत्नी स्व0 अनिल बागला से अपनी पुत्रियों सहित गाजियाबाद में निवास कर रही है, उनके पास मकान नम्बर 26 / 70ए के प्रथमखण्ड व तृतीय खण्ड पर कोई कब्जा नहीं है। लेकिन श्रीमती उमा बागला पत्नी स्व0 अनिल प्रागला को गाजियाबाद बुला कर बाहर ही बाहर, मकान नम्बर 26/70 बिर्हाना रोड कानपुर नगर के भूमिखण्ड व द्वितीय खण्ड के सहमालिकान ने प्रार्थी व उसके भाई के कब्जे व उपभोग के प्रथम खण्ड व तृतीय खण्ड के जुज भाग का गलत व अवैधानिक तरह से विक्यपत्र दिनांक 01-02-2025 को चोरी छिपे करा लिया है। जिसका सहारा लेकर गुण्डई दिनांक 06-02-2025 को शाम 6.00 बजे अपने सहयोगियों अराजक लोगो को बुला कर उक्त अर्चना बागला व हेमन्त बागुला व महेन्द्र बागला व उनके साथ दो तीन अज्ञात व्यक्तियों ने के बने कमरो व कब्जे के कमरों स्थित प्रथमखण्ड व तृतीय खण्ड ली गलौज करके अवरोध पैदा करने लगे मना करने पर मार पीट पर अमादा हो गये, धमकी दी है कि प्रार्थी के गृहस्थी का सामान सड़क पर फिकवा करके प्रार्थी के कब्जे व मिलकियत के भाग के कमरों में वह जबरिया कब्जा कर लेंगे। जिस पर रोक लगाने के लिये प्रार्थी ने दीवानी न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) कानपुर नगर में वाद संख्या-सन् 2025 अजय बागला बनाम उमा बागला आदि दाखिल किया है लेकिन इस बीच अर्चना बागला व हेमन्त बागला, महेन्द्र बागला की गुण्डा गर्दी के गलत कार्य को रूकवाने का अधिकार पुलिस के अलावा अन्य को नहीं है। लेकिन दिनांक 10-02-2025 शाम 6:00 बजे के

-

लगभग हेमन्त बागला व महेन्द्र बागला उनके साथ आये अपने को अधिवक्ता बता रहे थे व थाना-फीलखाना कानपुर नगर की पुलिस ने जबरन प्रार्थी के एक कमरे में लगे ताले के ऊपर हेमन्त का भी ताला जबरदस्ती लगवा दिया और हेमन्त के साथ आये अधिवक्ता महोदय ने प्रार्थी व प्रार्थी के भाई व पुत्र व पुत्रवधु के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुये गाली गलौज व जबरन कब्जा कर लेने की धमकी दे डाली और हेमन्त बागला व महेन्द्र बागला ने कहा कि दो तीन दिन के अन्दर मकान नम्बर 26/70 बिरहाना रोड कानपुर नगर के प्रथमखण्ड व तृतीय खण्ड पर जबरन कब्जा कर लेंगे जोकि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घटना के समय पुलिस भी मौजूद थी पुलिस ने भी हेमन्त बागला व महेन्द्र बागला व हेमन्त के अधिवक्ता महोदय से कुछ भी नहीं कहा। तब से प्रार्थी अत्याधिक भयभीत है। इसलिये प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट विपक्षीगणों के विरुद्ध दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त अर्चना बागला पत्नी महेन्द्र बागला व उनके पुत्र हेमन्त बागला पुत्र महेन्द्र बागला व महेन्द्र बागला निवासी मकान नम्बर-26/70 बिरहाना रोड के प्रथमतल व तृतीयतल पर जबरन कब्जा करने व प्रार्थी व प्रार्थी के भाई व प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु पर जानलेवा हमला व जान से मारने की धमकी के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जावे महान दया होगी।

दिनांकः 11-02-2025

प्रार्थी

अजय बागला पुत्र स्व0 राधेश्याम बागला निवासी-म0नं0-26/70 प्रथम तल व तृतीय तल स्थित बिरहाना रोड थाना-फीलखाना कानपुर नगर। मो0नं0-9793579992 9792750307